रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 मार्च, 1991/20 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SHIMLA, DISTRICT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 24th November, 1990

No. FDS/LPG/90-576/656.—In supersession of notification No. FDS/LPG/86, dated 30-5-87 the following amendments are hereby ordered with immediate effect to further streamline the supply and distribution of Indian LPG cylinders to the consumers in Shimla town:—

(*i*) Indian Oil Corporation shall maintain adequate regular and timely supply of LPG cylinders from the source.

(*ii*) In addition to fair price shops/authorised agents for the distribution of LPG cylinders to the domestic consumers, the Indian Oil Distributors in Shimla town *viz.* Himalaya, Vineet and Durga Gas Agencies shall also function as distributors for the consumers of the

nearby localities through their approved godowns on the basis of the registration done by them in the prescribed manner as contained in the earlier notification No. FDS/LPG/86, dated 15th May, 1987. These distributors shall keep the record in the prescribed proformas as notified that *vide* notification No. FDS/LPG/86, dated 15th May, 1987.

(*iii*) The Indian Oil distributors shall have to arrange supply of required number of LPG cylinders to the fair price shops through their own or hired transportation for further distribution to the residences of the consumers.

(*iv*) The distributors shall have to engage labourer to accompany the truck/van in sufficient number upto fair price shops for further delivery at the residence of the consumers, who have got confirmed home delivery booking with the fair price shop/authorised agent. The Supply of the cylinder for home delivery shall be made by the distributors directly from the trucks/vans, to the coolies from outside the fair price shop/ authorised agents. There will be no unloading of filled LPG cylinder on road side.

(*v*) The fair price shop holder/authorised agent shall have to book for refill for confirmed home delivery at the rate of Rs. 56.12 or as may be notified by the oil companies plus Rs. 3.38 as local delivery charges from godown to authorised distribution outlet and Rs. 1.50 distribution commission plus cooliage @ Rs. 6.00 and Rs. 8.00 per cylinder for both ways from fair price shop to residence of the consumers which will be determined by the fair price shops/authorised agent depending upon the distance involved. The fair price shop/authorised agent LPG distributor shall display at the place of his business the cooliage rates for the different localities as already fiixed *vide* notification No. FDS/LPG/86, dated 15th May, 1987. If any consumer wants to take delivery direct from the fair price shop/authorised agent he is at liberty to do by making his own arrangement. Similarly if a consumer wants to take godown delivery from the LPG distributor Rs. 2/- shall be charged less than the approved sale price.

(*vi*) The distributors shall have to keep in reserve two truck loads of LPG cylinders in his godown for any contigency and Indian Oil Corporation shall ensure the supply on these two reserved truck loads of LPG cylinders to each distributors.

(*vii*) If any distributor fails to keep the required supply in reserve or unable to procure and distribute the LPG cylinder to the fair price shop/authorised agent, he shall be liable for action under the Essential Commodities Act, 1955.

(*viii*) The distributors shall collect information about the requirement refills from every fair price shop/authorised agent in advance. The date and approx. timings of the arrival of the cylinders at the fair price shop/authorised agent shall be intimated to them by the dealers.

(*ix*) The fair price shop/authorised agent shall issue cash-memo to the consumers which will include the cost of cylinder and cooli charges.

(*x*) The Indian Oil Corporation Officers shall be sole supervisors for procurement and distribution of LPG cylinder to the consumer through the authorised points of the distributors from time to time. The Indian Oil Corporation shall also determine the points agency-wise for arranging supply to the fair price shops/authorised agent by rotation so as to avoid shortage and ensure equitable distribution. The Indian Oil Corporation shall ensure proper coordination with their distributors and the fair price shops/authorised agents for ensuring regular and timely supply of refills and minimise the complaints of domestic consumers.

P. C. KAPOOR,
District Magistrate,
Shimla.

जन-जातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 नवम्बर, 1990

संख्या टी0 डी0 (ए0) 4-7/82-II.—इस विभाग की अधिसूचना सम-संख्यक दिनांक 3-9-1990 के निरन्तरीकरण में जन-जातीय सलाहकार परिषद् के एक अन्य सदस्य को राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) तथा नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन क्षेत्रों के लिये मनोनीत निम्नलिखित प्रकार से करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं:—

श्री अर्जुन गोपाल, ग्राम ठोलंग, डाकघर मालंग,
जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ।

2. उक्त सदस्य तब तक सदस्य रहेगा जब तक कि मनोनयन की तिथि से नियम 5(2) तथा (3) के अंतर्गत इस परिषद के दो वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहे परन्तु इस अवधि के पूर्व राज्यपाल महोदय की खुशनूदी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पूर्व भी सदस्यता से हटाया जा सकता है ।

3. इस परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य को निम्न वर्णित यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा:—

1. गैर-सरकारी सदस्य इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई, 1987 के अनुलग्नक के अनुरूप यात्रा एवं दैनिक भत्ता का हकदार होगा ।

4. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण, हिमाचल प्रदेश गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता की अदायगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होगा ।

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला-176215, 1 दिसम्बर, 1990

संख्या 3387-93.—क्योंकि कान्ती चन्द्र, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कस्वा कोटला, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगडा की सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हो चुकी है ।

और क्योंकि सरकारी कर्मचारी बनने से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(5) के अन्तर्गत अयोग्यता समझी जाती है और इस तथ्य की पुष्टि विकास खण्ड अधिकारी, परागपुर द्वारा भी की गई है ।

अत : मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री कान्ती चन्द्र, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कस्बा कोटला का उप-प्रधान पद का त्याग पत्र हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बने पंचायत नियम, 1971 के नियम 19(बी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल स्वीकृत करता हूं तथा इस स्थान को रिक्त घोषित करता हूं ।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 1990

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (4) 5/77-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 (1) तथा धारा 5 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं का प्रयोग करते हुये विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा की ग्राम सभा चलाड़ी का नाम बदल कर साड़ल रखने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-7जी0-377/73.—क्योंकि प्रेम चन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सिद्धपुर सरकारी, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा को सक्षम न्यायालय द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अन्तर्गत झूठे प्रमाण-पत्र जारी करने पर दण्डित किया है जिस के आधार पर उक्त श्री प्रेम चन्द को उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने अपने आदेश संख्या 1012-1017, दिनांक 31-5-90 द्वारा उपरोक्त ग्राम पंचायत के पद से निलम्बित किया है ।

और क्योंकि उक्त श्री प्रेम चन्द का यह कृत्य ऐसा है जिसे उनका उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सिद्धपुर सरकारी के पद पर बना रहना सार्वजनिक हित में उचित नहीं है ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली के नियम संख्या 77 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत श्री प्रेम चन्द, उप-प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत सिद्धपुर सरकारी, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा को निष्कासनार्थ नोटिस देते हैं, कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्यों के लिए उनके पद से निष्कासित किया जाए । इस सन्दर्भ में उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से एक मास के भीतर उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि श्री प्रेम चन्द अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 जनवरी, 1991

संख्या एम0 एन0 डी0 डेव0 एम0 सी0-III/90.—क्योंकि पूर्ण चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी, विकास खण्ड सदर को प्राथमिक पाठशाला भवन शाहला के निर्माण हेतु मु0 50280/- रुपये की राशि दी गई थी । उन्होंने यह कार्य पूरा नहीं किया और जो कार्य किया वह भी निम्न स्तर का पाया गया । इस तरह उन्होंने पंचायत सभा निधि का दुरुपयोग किया है तथा जन हित के विकास कार्य में बाधा डाली है जोकि प्रधान पद के लिए अवांछनीय है ।

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री पूर्ण चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी, विकास खण्ड सदर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री पूर्ण चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं ।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी ।

वन खेती एवं संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2. 8 फरवरी, 1991

संख्या एफ0टी0 एस0 (ए) 3-1/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 (1969 का 16) की धारा 20 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश लैण्ड प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1978 (1978 का 28) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा के बारे में, इस विभाग के आदेश संख्या 15-4/71-एस0एफ0-2, तारीख 27 अगस्त, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा जाएगा) को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. *Insertion of new proviso in para* 2(1).—In para 2(1) of the said order before the existing first proviso the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that there will be no prohibition or restriction on felling of species of trees of Poplar, Eucalyptus, Albizzia, Bahunia, Willow and Mulberry;"

2. *Amendment in existing first proviso of para* 2(1).—In the existing first proviso of the said order after the word "Provided" the word "further" shall be added.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of H. P. Govt. Notification No. Fts.(A)3-1/84-Part, dated 8-2-91 as required under Art.* 348(3) *of the Constitution of India*].

FOREST FARMING AND CONSERVATION DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 8th February, 1991

No. Fts. (A)3-1/84-Part.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 (Act No. 28 of 1978) read with section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 (Act No. 16 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend this Department orders No. 15-4/71-SF-II, dated the 27th August, 1980, in respect of Kangra district (hereinafter called the said order) to the following extent; namely:—

AMENDMENTS

1. *Insertion of new proviso in para* 2(1).—In para 2(1) of the said order, before the existing first proviso, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that there will be no prohibition or restriction on felling of species of trees of Poplar, Eucalyptus, Albizza, Bahunia, Willow and Mulberry;"

2. *Amendment in existing first proviso of para* 2(1).—In the existing first proviso of the said order after the word "Provided" the word "further" shall be added.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary.*

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 1991

संख्या 9-1/90-परिवहन.—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 116 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल धुएं के मानक की माप तथा कार्बन मोनोक्साईड

गैस की माप के लिये निम्नलिखित उपकरणों की अगले आदेशों के जारी होने तक स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. धुएं की माप के लिये स्मोक मीटर :

(क) निसालको————————ई. डी.-1949
(ख) हरटरीज————————एस. एम.—एम. के.—3

2. कार्बन मोनोक्साईड गैस के लिये उपकरण :

(क) होरीबा-मक्सा-324—जी. बी.

आदेश द्वारा,
हर्ष गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।